सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

## सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/DEV-2981/MP/423/2024-RO-BH** **दिनांक: 05.06.2026**

**मुख्य सचिव,**
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल-462004, मध्य प्रदेश
ई-मेल: cs@mp.nic.in

**विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27-06-2024 को प्रकाशित खबर "सरपंची पर 'कब्जा': एससी- एसटी पंचायतों में दबंग कर रहे सील-साइन, महिला सरपंच कर रही मजदूरी" के सम्बंध में।**

**संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.07.2024 (प्रति संलग्न).**

**महोदय/महोदया,**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 16.06.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

**3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।**

पूर्णेन्दु कान्त

**(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)**
**निदेशक/Director**

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

( भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय )

(A Constitutional body exercising power of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)

( मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय )

(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERELA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

## नोटिस

फा. सं.: **NCST/DEV-2981/MP/423/2024-RO-BH** दिनांक: 08/07/2024

1. **श्रीमती वीरा राणा**
   मुख्य सचिव,
   मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन,
   भोपाल, मध्य प्रदेश 462004
   Email Id: cs@mp.nic.in
   Tel. No: 7552441848

**विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 27-06-2024 को प्रकाशित खबर "सरपंची पर 'कब्जा': एससी- एसटी पंचायतों में दबंग कर रहे सील- साइन, महिला सरपंच कर रही मजदूरी" के सम्बंध में।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दैनिक भास्कर से दिनांक 27/06/2024 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

O/C

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
जावक संख्या / Issue No. 3415
08/7/24

(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी

कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011
E-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in, Telefax : 0755-2576530, 2578272